

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(अधिष्ठान अनुभाग)

.....

संख्या: 796 /वि०स०/०२(अधि०)/२००६
लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2018

.....

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियम उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 कहलायेगा।
(2) यह नियम दिनांक 11 मई, 2018 की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियम, 2007 की धारा 5 में "रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ) के स्थान पर रुपये 50/- (रुपये पचास)" एवं
3. धारा 7 की उप धारा (ख) में "प्रति पृष्ठ के लिये पन्द्रह रुपये" के स्थान पर "प्रति पृष्ठ के लिये पाँच रुपये" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,



(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।